



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 992) पटना, सोमवार, 26 अगस्त 2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

अधिसूचना

27 जून 2019

सं० RE-01/19-41—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (यथा—अद्यतन संशोधित) कू अध्याय—V की धारा—17 के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन, सम्बद्धता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमावली 2019, जिस पर शिक्षा विभाग बिहार, पटना के पत्रांक—09/बि०वि०प०स०—09/2019—279 दिनांक 23.05.2019 द्वारा विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है, को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स सम्बद्धता विनियमावली, 2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा—17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एदत् द्वारा प्रशासी विभाग द्वारा संपुष्टीकरण के अधीन रखते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा से संबंधित) निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

- (1) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गमन, सम्बद्धता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमावली 2019 कही जाएगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :-

- (i) अधिनियम से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952;
- (ii) अध्यक्ष से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष;
- (iii) सचिव से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव;
- (iv) शैक्षणिक निदेशक से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशक;
- (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं उसकी क्षेत्रीय समिति/समितियाँ;
- (vi) समिति से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति;

- (vii) स्क्रीनिंग (प्रसंस्करण) समिति से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की समिति;
- (viii) राज्य से अभिप्रेत है, बिहार राज्य;
- (ix) राज्य सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (x) सरकारी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा संचालित शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय;
- (xi) निजी/गैर-सरकारी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से अभिप्रेत है, गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय;
- (xii) संस्था प्रधान से अभिप्रेत है संबंधित शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य;
- (xiii) संयुक्त संस्थान से अभिप्रेत है, विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है, जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डी.पी.एड. कोर्स के संचालन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार कला अथवा विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, मानविकी अथवा वाणिज्य अथवा अध्यापक शिक्षा अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हो।

3. प्रस्तावना |—यह विनियम संस्थानों द्वारा नये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डी.पी.एड. कोर्स प्रारम्भ करने हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त करने के उपरांत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदान करने तथा पूर्व से स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के उपरांत उसकी सम्बद्धता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रदान करने संबंधी सभी विषयों पर लागू होगा; यथा :-

- (i) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) नया कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना;
- (ii) पूर्व से संचालित शारीरिक शिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) नया कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना;
- (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन की नयी मान्यता प्राप्त होने के उपरांत समिति से सम्बद्धता-संबंधी अनुमति प्राप्त करना;
- (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स में नामांकन हेतु अतिरिक्त प्रवेश क्षमता-संबंधी मान्यता प्राप्त होने के उपरांत अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की समिति से सम्बद्धता-संबंधी अनुमति प्राप्त करना;
- (v) वर्तमान शारीरिक शिक्षण संस्थान, जिसमें शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालित है, के द्वारा अपना नाम बदलने अथवा परिसर का स्थान परिवर्तित करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से सहमति प्राप्त होने के उपरांत समिति से सहमति प्राप्त करना।

4. पात्रता |—संस्थानों की निम्न श्रेणियाँ इस विनियमन के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु एवं सम्बद्धता-संबंधी अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी; यथा:-

- (i) राज्य सरकार अथवा उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान/महाविद्यालय;
- (ii) राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान/महाविद्यालय;
- (iii) समूचित विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसाइटियों तथा न्यासों द्वारा बिहार राज्य में स्थापित तथा संचालित अथवा कम्पनी अधीनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा बिहार राज्य में स्थापित एवं संचालित स्ववित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय।

5. आवेदन पत्र |—तैयार करने की विधि और समय-सीमा :-

(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन :

- (i) विनियम चार के अधीन पात्र ऐसे संस्थान/महाविद्यालय, जो शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा(डी.पी.एड.) कोर्स चलाने के इच्छुक हैं और इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता के लिए आवेदन करना है; प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) फीस और निर्धारित दस्तावेजों के साथ समिति को आवेदन कर सकते हैं।
- (ii) आवेदन में पूर्व से संचालित कार्यक्रम/कोर्स का विवरण एवं आवेदन के साथ संचालित कोर्स के मान्यता-संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित तथा भूमि एवं भवन से संबंधित प्रमाण-पत्र, जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूमि का स्वामित्व-संबंधी संस्था/महाविद्यालय की प्राप्त है, संलग्न किया जाएगा।
- (iii) ऐसी अलाभकारी सोसाइटी अथवा न्यास अथवा कम्पनी जो एक ही साथ संयुक्त संस्थान के रूप में नया कोर्स संचालित करना चाहती है, उन्हें दूसरे कोर्स के संबंध में साक्ष्य आवेदन के साथ देना होगा।
- (iv) आवेदन संस्था के प्रधान; यथा प्राचार्य, सोसाइटी/न्यास के अध्यक्ष/सचिव, कम्पनी के कार्यकारी प्रबंध निदेशक के द्वारा ही किया जाएगा।
- (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता हेतु आवेदन करने की निर्धारित समयावधि के अन्दर एवं

संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को मान्यता हेतु आवेदन करने के पूर्व समिति में संस्था द्वारा आवेदन किया जाएगा।

- (vi) निर्धारित समयावधि के पूर्व या बाद में किये गये आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए समिति दोषी नहीं होगी और प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) फीस की राशि जब्त कर ली जाएगी।
- (vii) निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों पर उनके गुण-दोष एवं राज्य में कोर्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा तथा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- (viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने अथवा अस्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) फीस की राशि आवेदक को वापस नहीं की जाएगी।

(ख) सम्बद्धता हेतु आवेदन :-

- (i) वैसे संस्थान/महाविद्यालय जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन हेतु मान्यता प्राप्त हो गयी है, समिति से सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- (ii) प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण शुल्क) एवं सम्बद्धता शुल्क तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकेगा।
- (iii) अपेक्षित दस्तावेजों में निम्न दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र में निश्चित रूप से संलग्न किये जाएँगे :-
 - (a) निर्धारित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (b) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (c) नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (d) पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (e) स्टाफ नियोजन, वेतन भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाण-पत्र।
- (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के दस (10) दिनों के अन्दर संबंधित संस्थान द्वारा सभी दृष्टियों से विधिवत् रूप से भरा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (v) विधिवत् रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सारी प्रक्रिया पूरी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता-संबंधी सूचना संबंधित संस्थान को संसूचित कर दी जाएगी।

6. प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) :- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में निम्नवत् राशि ली जाएगी :-

- (i) अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र के साथ संस्थान द्वारा पाँच हजार /रुपये (5,000/- रुपये मात्र) का बैंक ड्रॉप्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदनाम से जमा किया जाएगा।
- (ii) सम्बद्धता शुल्क :- संस्थान द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र के साथ सम्बद्धता-संबंधी आवेदन के प्रोसेसिंग फीस के रूप में पंद्रह हजार रुपये (15,000/-रुपये) मात्रका बैंक ड्रॉप्ट एवं सम्बद्धता शुल्क के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त मान्यता के अनुसार प्रति इकाई पैंतीस हजार रुपये (35,000/-रुपये) मात्र का बैंक ड्रॉप्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदनाम से जमा किया जाएगा।

7. आवेदन पत्र को प्रोसेस करना :-

(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र का आवेदन :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए संस्थान से प्राप्त आवेदन पत्रों को उनके गुण-दोष के आधार पर विवेचन करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शीघ्रता के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा तथा पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) सम्बद्धता से संबंधित आवेदन-पत्र :-

- (i) सम्बद्धता से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर समीक्षा कर ली जाएगी कि प्राप्त आवेदन सभी प्रकार से सही है एवं आगे की कार्यवाई हेतु योग्य है।
- (ii) त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को सुधारने का एक मौका संबंधित संस्थान को दिया जाएगा एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संस्थान को सूचित किये जाने की तिथि के पंद्रह (15) दिनों के अन्दर सुधरा हुआ आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जमा करने की जवाबदेही संस्थान की होगी।
- (iii) निर्धारित तिथि तक सुधरा हुआ आवेदन नहीं जमा करने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सुरक्षित होगा जो संस्थान को मान्य होगा। इस कोटि के प्राप्त आवेदन को प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) संबंधी समय की गणना सुधरा हुआ आवेदन प्राप्त होने की तिथि से की जाएगी।
- (iv) जिन संस्थानों का आवेदन-पत्र सभी दृष्टिकोण से सही पाया जाएगा उन संस्थानों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक चार-सदस्यीय टीम गठित कर उसकी स्थलीय जाँच कराएगी। इस गठित दल द्वारा

जाँच के क्रम में जाँच की पूरा विडियो रिकॉर्डिंग करायी जाएगी, जिसकी व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी साथ ही संस्थान द्वारा विडियो रिकॉर्डिंग की सी.डी. जाँच दल को उसी तिथि को उपलब्ध करा दी जाएगी।

- (v) **समिति द्वारा जिला स्तर पर एक जाँच समिति गठित की जाएगी, जो निम्नवत होगी :-**
- | | | | |
|-----|--|---|--------|
| (क) | संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी | — | संयोजक |
| (ख) | समिति द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (ग) | निदेशक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग,
पटना के द्वारा एक मनोनित एक क्षेत्रीय पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (घ) | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना द्वारा मनोनित एक शारीरिक शिक्षाविद्
(Physical Education Faculty) | — | सदस्य |
- (vi) जाँच समिति के संयोजक एवं प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन एक हजार पाँच सौ रुपये (1,500/-) मानदेय के रूप में देय होगा; इसके अतिरिक्त समिति द्वारा नियमानुसार यात्रा-भत्ता देय होगा। समिति द्वारा इन्हें वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। जाँच समिति निश्चित रूप से पंद्रह (15) दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगी।
- (vii) सभी दृष्टिकोण एवं सही रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति तिथि से तीस (30) दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संस्थान की जाँच आवश्यक रूप से कराते हुए जाँच प्रतिवेदन सी.डी. के साथ प्राप्त कर लिया जाएगा। (समय का अनुपालन करना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की होगी)।
- (viii) प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में स्क्रिनिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (ix) **स्क्रिनिंग समिति :** सरकारी/गैर सरकारी संगठन द्वारा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन की सम्बद्धता देने तथा वापस लेने के लिए समिति में एक स्क्रिनिंग समिति निम्नवत् होगी :-
- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| (क) | शैक्षणिक निदेशक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति | — | अध्यक्ष |
| (ख) | परीक्षा नियंत्रक (विविध) | — | सदस्य |
| (ग) | निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा मनोनित
एक विभागीय पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (घ) | उप सचिव/सहायक सचिव (शिक्षक प्रशिक्षण),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति | — | सदस्य सचिव |
- (x) स्क्रिनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया जाएगा।
- (xi) वैसे संस्थान जिसके जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाएगी उन्हें त्रुटि सुधारने का एक मौका देते हुए त्रुटि के संबंध में सूचना दी जाएगी।
- (xii) वैसे संस्थान जिन्हें सुधार का मौका दिये जाने के पश्चात् भी उनकी सम्बद्धता अस्वीकार कर दी जाती है, के द्वारा जमा किया गया प्रोसेसिंग शुल्क (प्रसंस्करण शुल्क) एवं सम्बद्धता शुल्क समिति द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

8. सम्बद्धता प्रदान किये जाने की शर्तें — समिति द्वारा सभी दृष्टिकोण से सही पाये जाने के पश्चात् संबंधित संस्थान/महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन के लिए सम्बद्धता निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगी :-

- (i) संस्थान/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा;
- (ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों/महाविद्यालयों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने के लिए सक्षम होगी;
- (iii) संस्थान/महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा;
- (iv) विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतनादि का भुगतान संस्था/महाविद्यालय उनके बैंक खाता के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी;
- (v) नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक के पद त्याग करने अथवा हटाने जाने संबंधी सूचना तत्काल संस्थान/महाविद्यालय द्वारा समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के परामर्श पर नियमानुसार नियुक्ति शीघ्र की जाएगी;
- (vi) संस्थान/महाविद्यालय के संबंध में किसी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच करायी जाएगी तथा जाँचोपरान्त आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी;
- (vii) प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान/महाविद्यालय द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन उनके निर्गत करने वाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है;
- (viii) सभी शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रबंध समिति का गठन नियमानुसार करने के पश्चात् सदस्यों की सूची समिति को तुरन्त उपलब्ध करायी जाएगी;
- (ix) संस्थान/महाविद्यालय के बैंक खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या तथा वरीयतम व्याख्याता/प्रोफेसर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा;
- (x) जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान/महाविद्यालय को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी संबद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा;
- (xi) संस्थान/महाविद्यालय को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे;
- (xii) संस्थान/महाविद्यालय निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी संस्थान/महाविद्यालय द्वारा ऐसा नहीं करना संबद्धन के शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा;
- (xiii) किसी कारणवश जैसे संस्थान, जिन्हें NCTE से विनियमावली लागू होने के पूर्व से मान्यता प्राप्त होगी, के संबंध में आवश्यकतानुसार पूर्व की तिथि से संबद्धता प्रदान करने के संबंध में बोर्ड के स्तर से निर्णय लिया जाएगा।
- 9. शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त करने वाले शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदण्ड और मानक :-**
- (i) **अवधि** |—शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अन्दर कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी।
- (ii) **कार्य दिवस** |—
- (क) प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम-से-कम दौ सौ (200) दिन होंगे, जिसमें परीक्षा एवं प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी।
- (ख) संस्थान/महाविद्यालय सप्ताह (पाँच अथवा छः दिन) में कम-से-कम छत्तीस (36) घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्थान में सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप परामर्श और आवश्यकतानुसार अन्य क्रियाकलापों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके।
- (ग) विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम हेतु, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत और विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।
- (iii) **दाखिला क्षमता** |—बुनियादी इकाई 50 विद्यार्थियों की होगी। प्रारम्भ में दो बुनियादी इकाई की अनुमति है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा संस्था/महाविद्यालय को शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन हेतु दी गयी मान्यता आदेश में स्वीकृत बुनियादी इकाई से आच्छादित होगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित संस्थान/महाविद्यालय को अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने पर अधिकतम चार बुनियादी इकाई रखने की अनुमति दी जाएगी।
- (iv) **पात्रता** |—
- (क) उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा (जिसकी मान्यता बिहार सरकार द्वारा दी गयी हो) में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र हैं।
- (ख) जो उम्मीदवार अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एस.जी.एफ.आई. खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, उनके अर्हक परीक्षा के अंकों की प्रतिशतता में पाँच (05) प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण हेतु स्थान आरक्षण और अर्हक परीक्षा के अंकों की प्रतिशतता में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी जो इसमें भी लागू होंगे।
- (v) **प्रवेश प्रक्रिया** |—प्रवेश प्रक्रिया में (खेल दक्षता परीक्षण, शारीरिक स्वस्थता परीक्षण और अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) अथवा किसी अन्य चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
- (vi) **शुल्क** |— संस्थान/महाविद्यालय केवल यह शुल्क वसूल करेगी, जो संबंधित सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्राप्त किये जा रहे द्यूशन शुल्क एवं अन्य शुल्क के विनियमों के लिए मार्ग निर्देश) विनियम 2002 के उपबंधों के अनुसार विहित

किया गया होगा। संस्थान/महाविद्यालय विद्यार्थियों या उसके अभिभावक से दान, प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) आदि वसूल नहीं करेगा।

- (vii) **मूल्यांकन** |—प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम के लिए कम-से-कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अंक सतत आंतरिक आकलन के लिए और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित टर्म के अंत में परीक्षा के लिए निश्चित किये जा सकते हैं तथा कुल अंको का एक-चौथाई विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों का अभ्यास शिक्षण के कार्यों सहित, आवंटित किया जा सकता है। आंतरिक और वाह्य आकलन के लिए भारांश सम्बद्धन निकाय द्वारा निश्चित किया जाएगा। उम्मीदवारों का पूरे प्रायोगिकात्मक कार्य पाठ्यक्रम के संबंध में आंतरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और न कि केवल अध्ययन की उनकी इकाई भाग के रूप में उन्हें दिये गये प्रोजेक्ट/क्षेत्र कार्य के संबंध में। मूल्यांकन के लिए आधार और प्रयुक्त मापदण्ड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंको के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें अपना निष्पादन सुधारने का अवसर प्राप्त हो सके। आंतरिक मूल्यांकन के लिए आधार के अन्तर्गत अलग-अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकॉर्ड, डायरियाँ, प्रतिकात्मक पत्रिकाएँ आदि शामिल हो सकती हैं।

10. शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक संरचना :-

- (i) **शैक्षणिक संकाय** |—(पचास विद्यार्थियों की एक बुनियादी इकाई अथवा एक सौ की मिली-जुली संख्या से कम अथवा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए) :-

(A) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष	—	एक
(B) प्राध्यापक	—	छः
(C) पुस्तकाध्यक्ष	—	एक
(D) फिजियोथेरापिस्ट	—	एक
(E) विशेषज्ञ अंशकालिक संकाय, (खेल विशेषज्ञ)	—	चार (अंशकालिक)
(F) आहार-विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ	—	एक (अंश कालिक)
(G) आई. सी. टी. अनुदेशक	—	एक (अंश कालिक)

टिप्पणियाँ :-

- (A) अतिरिक्त नामांकन के लिए जो पचास विद्यार्थियों के गुणक में होगा, पूर्णकालिक संकाय की संख्या में छः (06) प्रति अतिरिक्त इकाई के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक अवसर पर एक बुनियादी इकाई के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार पाठ्यक्रमों को भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों को पूरा किये जाने के अध्यधीन व्यापक और संयुक्त संस्थानों में संचालित किया जा सकता है।
- (B) संकाय सदस्यों की नियुक्ति को इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों/विषयों और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों को शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित हो सके। संकाय का उपयोग शिथिलनीय ढंग से शिक्षण के लिए किया जाएगा जिससे कि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग हो सके।

(ii) अर्हताएँ :-

- (A) **प्राचार्य/विभागाध्यक्ष** |—कम-से-कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.पी.एड. अथवा समकक्ष डिग्री तथा 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.पी.एड. उत्तीर्ण साथ ही शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में एक प्राध्यापक के रूप में कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव।
- (B) **प्राध्यापक** |—कम-से-कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.पी.एड. अथवा समकक्ष डिग्री तथा 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.पी.एड. उत्तीर्ण तथा विद्यालय स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में आठ (08) वर्ष का अनुभव।
- (C) **पुस्तकाध्यक्ष** |—पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि।
- (D) **शारीरिक चिकित्सक (फिजियोथेरापिस्ट)** |— खेल फिजियोथेरापी में विशेषज्ञता के साथ फिजियोथेरापी में स्नातकोत्तर डिग्री।
- (E) **विशेषज्ञ अंशकालीन संकाल (खेल विशेषज्ञ)** |—न्यूनतम एक खेल में विशेषज्ञता, खेल में कोचिंग में डिप्लोमा के साथ शारीरिक शिक्षा में किसी एक खेल विशेषज्ञता/स्नातक डिग्री के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री।
- (F) **आहार विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ** |—पोषाहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।
- (G) **आई.सी.टी. अनुदेशक** |—सूचना प्रथाओं/सूचना विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पणी |—संयुक्त संस्थान के मामले में प्राचार्य और शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी कर्मियों की सेवाओं में भागीदारी की जा सकती है।

(iii) तकनीकी सहयोगी और प्राशासनिक कर्मी :

(A)	ग्राउण्ड स्टाफ (ग्राउण्डों की मार्किंग करने और खेल मैदानों के अनुरक्षण की जानकारी के साथ)	—	एक
(B)	तकनीकी सहायक	—	एक (अंशकालीन)
(C)	कार्यालय सहायक (कम्प्यूटर और लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के ज्ञान के साथ)	—	एक
(D)	स्टोर कीपर "भंडारपाल" (स्टोर हैंडलिंग के जानकारी के साथ)	—	एक
(E)	हेल्पर/परिचर	—	दो

(iv) अर्हताएँ —उपर्युक्त सभी पदों के लिए राज्य सरकार में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता लागू होंगे।

(v) सेवा के निबंधन एवं शर्तें —शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मियों की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, अधिवाषिकी की आयु और अन्य लाभ भी शामिल है। राज्य सरकार/सम्बद्धन इकाई की नीति के अनुसार होंगे।

11. आधारभूत सुविधाएँ :-

(क) संस्थान के पास उचित फेन्सिंग के साथ न्यूनतम पाँच एकड़ यानी 500 डिसमिल भूमि जिसमें संस्थागत इमारत के लिए तथा खेल-कूद आयोजित करने के लिए खुली जगह होनी चाहिए। संस्थान की भूमि पर न्यूनतम एक बुनियादी इकाई के संचालन हेतु 1,200 (एक हजार दो सौ) वर्गमीटर में वर्ग कक्ष एवं अन्य कक्ष निर्मित हों। डी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नवत् होगी :-

(i)	केवल शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.)	—	1,200 वर्गमीटर।
(ii)	डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड.	—	2,700 वर्गमीटर।
(iii)	डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड. और एम.पी.एड.	—	3,900 वर्गमीटर।

टिप्पणी :-

- (i) डी.पी.एड. की एक बुनियादी इकाई के अतिरिक्त भर्ती हेतु प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 500 वर्गमीटर (पाँच सौ वर्गमीटर) अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।
- (ii) नामांकन के प्रति बुनियादी इकाई के लिए दो वर्ग कक्ष होनी चाहिए, इसके अलावे एक बहुप्रयोजन हॉल, एक बहुप्रयोजन प्रयोगशाला, सेमिनार कक्ष, प्राचार्य/विभागाध्याक्ष, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्ष, प्राशासनिक कर्मी के लिए कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय तथा भंडार कक्ष का प्रावधान निर्मित क्षेत्र में होना चाहिए। वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए प्रति विद्यार्थी 10 (दस) वर्गफीट से कम स्थान नहीं होना चाहिए। बहुप्रयोजन हॉल 2,000 वर्गफीट के साथ दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का होगा।
- (iii) न्यूनतम दो सौ मीटर ट्रैक के साथ बाह्य खेलों के लिए एक बहुप्रयोजन क्षेत्र और जिमनास्टिक व अंतरंग खेल-कूद के लिए एक हॉल होना चाहिए।
- (iv) भवन के सभी भागों में अग्नि संकट के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (v) संस्थागत परिसर, भवन, उपस्कर, शौचालय अदि निःशक्तों के लिए अनुकूल होना चाहिए।
- (vi) आवश्यक होने पर, छात्र तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संकाय सदस्यों के लिए कुछ आवासीय क्वार्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ख) अनुदेशात्मक :-

(i) संस्था पुस्तकालय व संसाधन केंद्र स्थापित करेगी, जहाँ अध्यापकों और विद्यार्थियों की पहुँच अध्यापन-शिक्षाप्राप्ति की प्रक्रिया को सहायता देने और उसे और आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तथा संसाधनों तक होगी, जिनमें न्यूनतम 2,000 (दो हजार) शीर्षकों एवं अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकों, शैक्षणिक विश्वकोष, वार्षिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सी.डी.-रोम) और न्यूनतम शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पाँच पत्रिकाएँ होंगी। पुस्तकालय में फोटो प्रतियाँ तैयार करने की मशीन की सुविधा और संकाय तथा विद्यार्थियों के उपयोग हेतु इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) प्रयोगशाला :-

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपस्कर —प्रोजेक्शन और दोहरेपन के लिए हार्डवेयर और आई.सी.टी. साक्षरता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली, टी.बी., एल.सी.डी., प्रोजेक्टर प्रदर्शन बोर्ड (तीन) इन्टरनेट संयोजकता के साथ कम-से-कम दस मूवी कैमरा, संगीत प्रणाली, कम्प्यूटर प्रणाली-प्रिंटर के साथ (दो) फोटो कॉपी मशीन, जीओ/डी.वी.डी./आर.ओ.एम., विभिन्न खेलों/दक्षता शिक्षण के लिए बीस स्मार्ट बोर्ड।

(ख) शरीर रचना, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला उपस्कर ।—मानव कंकाल—आर्टिकुलेटिड—(एक), अ—आर्टिकुलेटिड—(दो), इलेक्ट्रॉनिक किट—(एक सेट), स्टेडियोमीटर—(एक), ग्रोथ चार्ट एवं बॉडी सिस्टम चार्ट—(दस), बांछनीय भार एवं ऊँचाई टेबुल—(दो), स्किनफोल्ड कैलिपर्स—(दो), मापन टेप (स्टील)—(एक), पीक फ्लो मीटर—(एक), ग्रिप डायनेमोमीटर—(दो), फ्लोक्सोमीटर (सिट एण्ड रीच ऐपरेटस)—(दो), बी.पी. ऐपरेटस (साइग्नोमैनोमीटर, स्टेथस्कोप और स्टॉप बॉच)—दो।

(iii) खेल और क्षेत्र उपकरण ।—खेल और क्षेत्र उपकरण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :—

(क) एथलेटिक्स ।—मापन टेप (स्टील) 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर तथा 100 मीटर का, ट्रैक की मार्किंग के लिए तार (पचास मीटर)—एक, स्टॉप वॉच—चार, स्टार्टिंग क्लैपर—एक, समाप्ति पर न्यायधियों के लिए स्टैण्ड—दो, प्लैग पोल—छः, स्टार्टिंग ब्लॉक्स—छः, स्टाफ बोर्ड—दो, टेक ऑफ बोर्ड—दो, हर्डलस—बीस, हाई जम्प स्टैण्ड—एक जोड़ी, हाई जम्प क्रास बार्स—छः, पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉटपुट—दो—दो, पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस—दो—दो, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए हैमर्स—दो—दो, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जलेवियन—छः—छः, जम्पिंग के लिए बाल्टिंग वॉक्स—दो, रिले बैटन—छः, मैट्रेस वजन प्रशिक्षण (मैट्स), हाई जम्प के लिए लैंडिंग।

(ख) खेल—कूद :

बैडमिंटन	— पोस्ट, नेट, रैकेट, शटल कॉक।
बास्केट बॉल	— स्टैण्ड और बोर्ड, नेट, बाल्स।
क्रिकेट	— बैटिंग पैड, बैटिंग ग्लोब्स, एवडोमिनलगार्ड, हेल्मेट, विकेट कीपिंग ग्लोब्स, विकेट कीपर लेग गार्ड, स्टम्पस, वेल्स, बाल्स, टेनिस बॉल।
फुटबाल	— गोल पोस्ट नेट, बाल्स (सूक्ष्म आकार—4), पलेग के साथ पोस्ट।
जिमनास्टिक	— वाल्टिंग टेबल/हार्स (पुरुष महिलाएँ), पैरललबार (पुरुष), हारिजेंटलबार (पुरुष), वैलेंस बीम (समायोजन—योग्य) जिमनास्टिक्स मैट्रेसिज।
हैडबॉल	— गोल पोस्ट, नेट बॉल।
हॉकी	— गोल पोस्ट, नेट, बॉल, स्टिक्स, गोल कीपिंग, किट।
लॉन टेनिस	— लॉन टेनिस पोस्ट्स, टेनिस बॉल, रैकेट, नेट, एन्टेना।
टेबुल टेनिस	— टेबुल, रैकेट, टेबुल टेनिस बॉल।
भौली बॉल	— भौली बॉल पोस्ट्स, भौली बॉल, नेट, एन्टेना।
खो—खो	— खो—खो पोल।
वजनप्रशिक्षण	— वजन प्रशिक्षण रॉड्स, वजन प्लेट्स 2.5 किलोग्राम, 05 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, कोलर्स, बैंचेज, भार स्टैण्ड, भार बेल्ट और भार जैकेट— एक, मल्टी जिम अथवा पृथक स्टेशनबार (कम—से—कम दस स्टेशन), जूडो/ताइक्वांडो/कुश्ती—मैट्स।

(ग) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपकरण ।—लेजियम्स, डम्बवेल्स, प्लैग्स, हूप्स, वेण्ड्स, ब्राल्स, अम्ब्रेला, स्किपिंग रोप, संगीत प्रणाली, संगीत—सी.डी./कैसेट, सामग्री, जैसे कि स्कार्फ ड्रिल—रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए; लड़ाकू कलाओं के लिए प्रदर्शन उपकरण/उपस्कर।

(iv) सांस्कृतिक कार्यकलाप ।—उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र जब भी विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराये जाने होंगे।

(v) विविध ।—बड़े खेलों, लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज, लड़ाकू खेलों और योग के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर/उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

12. सुविधाएँ :-

- शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपर्युक्त फर्नीचर।
- संस्थान पुरुष तथा महिला अध्यापक शिक्षकों/छात्र शिक्षकों के लिए पृथक सामान्य कक्षा (कॉमरूम) की व्यवस्था करेगा।
- संस्थान के कर्मियों एवं विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त शौचालय एवं मुत्रालय, (पुरुष एवं महिला के लिए अलग—अलग) की व्यवस्था संस्थान द्वारा होनी चाहिए।
- संस्थान में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है।
- कैम्पस की नियमित सफाई पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों की मरम्मत एवं उसके समय पर बदलने की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

टिप्पणी :-संयुक्त संस्थान के मामले में बहुप्रयोजन हॉल, खेल—मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाएँ (पुस्तकों एवं उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा अनुदेशात्मक स्थान से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जा सकती है।

13. प्रबंध समिति —संस्था राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रबंध समिति का गठन करेगी। नियमों के न होने पर संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/न्यास स्वमेव प्रबंध समिति गठित करेगी। समिति में सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद्, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/Art, Culture & Youth Department, Bihar, Patnaका एक प्रतिनिधि तथा संस्थान के शैक्षणिक कर्मियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

14. परीक्षा शुल्क —समिति द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में राशि निम्नवत् प्राप्त की जाएगी :-

1. आवेदन प्रपत्र	—	250/- रुपये
2. परीक्षा शुल्क	—	100/- रुपये
3. विविध शुल्क	—	600/- रुपये
4. प्राप्तांक शुल्क	—	350/- रुपये
5. बिलंब शुल्क	—	175/- रुपये

कुल — **1,475/- रुपये**

ये शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित हैं एवं समय-समय पर यथा संशोधित रूप में लागू होंगे।

15. शैक्षणिक कैलेंडर —दो वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा। संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को समय बेहतर रूप से पूरा किया जा सके एवं समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो इस हेतु समिति द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से आकादमिक कैलेंडर भी जारी किया जा सकेगा जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

16. सम्बद्धता की वापसी :-

- (क) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विशिष्ट विषय अथवा सभी विषयों में सम्बद्धता की वापसी की जा सकेगी प्रारम्भिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) की शिक्षा देने वाली संस्था/महाविद्यालय असम्बद्ध की जा सकेगी, यदि समिति का समाधान हो जाय एसी संस्थाएँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सम्बद्धता जारी रखने के योग्य नहीं है।
- (ख) सम्बद्धता की कार्रवाई संस्थान/महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में समिति द्वारा आरम्भ की जा सकेगी :-
- इन उपविधियों में उपबंधित के सिवाय प्रयोजनों के लिए निधि के आपवर्तन सहित वित्तीय अनियमितता।
 - विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध देशद्रोह अथवा परायापन की भावना को मन में बैठाने अथवा उसे बढ़ावा देने सहित राज्य के हित के प्रतिकूल क्रियाकलापों में व्यस्त रहना।
 - समाज के विभिन्न धाराओं के बीच असामंजस्य/घृणा को बढ़ावा देना या रहने देना।
 - सम्यक नोटिस के बाद भी संबंधित कमियों को दूर करने से अधिकाधिक शर्तों का नहीं पूरा किया जाना।
 - चेतावनी प्राप्त होने के बाद भी सम्बद्धता के नियमों एवं शर्तों का ध्यान नहीं रखना।
 - प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रबंधन की अंदरूनी दुश्मनी से उत्पन्न विवाद के चलते संस्थान/महाविद्यालय के सुगम कार्यशैली में बाधा उत्पन्न होना।
 - लगातार तीन वर्षों तक निम्नस्तरीय कार्यकलाप, सामान्य उत्तीर्णता प्रतिशत के न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्तीर्णता बनाए रखने में संस्थान/महाविद्यालय का शैक्षणिक कार्यकलाप अपर्याप्त होना।
 - किसी विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए समुचित उपकरण/स्थान/स्टाफ की अनुपलब्धता।
 - नामांकन/परीक्षा/किसी अन्य क्षेत्र जो समिति की राय में, संस्थान/महाविद्यालय की तुरंत असम्बद्धता के लिए न्यायसंगत हो, से संबंधित कोई अन्य कदाचार।
 - एक समिति/प्रबंधन/न्यास/सोसाइटी द्वारा अन्य समिति/प्रबंधन/सोसाइटी/न्यास एकरारनामा/विक्रय बिलेख के माध्यम से संस्थान/महाविद्यालय की सम्पत्ति के विक्रय/अन्तरण की दशा में।
 - रिट याचिका (अपराधिक) संख्या - 666-70/1992 विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित आदेश द्वारा विहित नियमों का उल्लंघन स्थापित होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।
- (ग) समिति/संस्थान/महाविद्यालय प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस अधिकतम एक वर्ष के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए समय और अवसर दे सकती है, जिसमें असफल रहने पर समिति संस्था/महाविद्यालय को असम्बद्ध घोषित कर सकेगी। समिति द्वारा इस तरह का निर्णय अंतिम तथा संस्थान/महाविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा। कारण बताओ नोटिस की अधिकतम अवधि एक माह से अधिक नहीं हो सकेगी।
- (घ) सम्बद्धता के लिए केवल आवेदन-पत्र देने अथवा समिति के पास उसे लंबित रहने से किसी संस्थान/महाविद्यालय को "समिति से सम्बद्ध होना" लिखने का न तो वह हकदार होगा और न किसी रीति से कुछ भी करने का सहारा लेगा जिससे लोगों के मन में इसके संबंध में कोई गलत छवि बने।

- (ड) यदि कोई संस्थान/महाविद्यालय को शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स संचालन के लिए सम्बद्ध होने हेतु विहित नियमों और/या समिति के नियमों को बनाये रखने में असफल रहे अथवा संस्थान/महाविद्यालय के कार्यकलाप में गिरावट आये तो समिति उन कमियों को दूरकर अधिकतम एक वर्ष के भीतर सम्बद्धता कायम रखने हेतु निर्धारित स्तर तक आने के लिए आदेश देगा। यदि संस्थान/महाविद्यालय अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होते हैं तो सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय की हैसियत वे खो सकेंगे और यहाँ तक कि यदि समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय तो असम्बद्ध कर दिये जा सकेंगे।
- (च) किसी संस्थान/महाविद्यालय को असम्बद्ध कर दिये जाने पर यदि सम्बद्धता पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन असम्बद्ध होने की तिथि से पाँच साल के भीतर प्रस्तुत करता है तो स्क्रीनिंग समिति बिना कोई सम्बद्धता शुल्क लिए उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी, परन्तु उपविधि के उपबन्धों के पुर्नवहेलना पर उस संस्था/महाविद्यालय की सम्बद्धता स्थाई रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

17. महाविद्यालय का अंतरण/विक्रय।—संस्थान/महाविद्यालय को अथवा संस्था/महाविद्यालय के किसी सम्पत्ति का एक सोसाइटी/प्रबंधन/न्यास से अन्य सोसाइटी/प्रबंधन/न्यास को विक्रय, विलेख, एकरारनामा के माध्यम से अंतरण/विक्रय की स्वीकृति समिति नहीं देगी, यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से हुआ तो समिति तुरन्त प्रभाव से संस्थान/महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस ले लगी।

18. कठिनाइयों का निराकरण।—इस विनियमन को लागू होने से यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो उसे दूर करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षम होगी एवं इस हेतु आवश्यकतानुसार अलग से नियम, विनियम, निदेश एवं पत्र, जारी कर सकेंगी जो इस विनियमन के अन्तर्गत माने जाएँगे और जिसका अनुपालन संस्थाओं/महाविद्यालयों के लिए आवश्यक होगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति।—इस विनियमन के लागू होने की तिथि से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से पूर्व में निर्गत पत्रों, परिपत्रों, नियम एवं विनियमों का निरसन किया जाता है। ऐसे निरसन के बावजूद एदत द्वारा जिन पत्रों, परिपत्रों, नियम एवं विनियम का निरसन किया गया है उनके अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई जो इस विनियमन के परस्पर विरोधी नहीं है, इस विनियमन के तदनुकूपी प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी कार्रवाई मानी जाएगी।

ऐसे संस्थान/महाविद्यालय जिन्हें इस विनियमन के पूर्व में है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है, उनके द्वारा भी इस विनियमन के निदेशों का अनुपालन किया जाएगा और यदि उनके द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क नहीं जमा किया गया है तो उन्हें विनियमन के निर्गत होने के पंद्रह दिनों के अन्दर निर्धारित सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी सम्बद्धता निरस्त की जाएगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आदेश से,
अनुप कुमार सिन्हा,
सचिव ।

फारम -1

**डी.पी.एड. संबद्धता हेतु आवेदन पत्र
(बिहार विद्यालय परीक्षा समिति)**

1. संस्थान/महाविद्यालय का नाम
2. पता (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्गत पत्र में दर्ज पता ही अंकित किया जाएगा).....
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राप्त मान्यता का विवरण पत्रांक दिनांक
- (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्गत पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जाएगी)
4. बुनियादी इकाई, जिसकी मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की गई है :
- छात्र संख्या
5. सम्बद्धता हेतु आवेदित छात्र संख्या :
6. पूर्व में संचालित कोर्स का विवरण :
 - (i) कोर्स का नाम :
 - (ii) नामांकन हेतु स्वीकृत छात्र संख्या :
 - (iii) मान्यता/सम्बद्धता से संबंधित पत्र का पत्रांक :
 - दिनांक
 - (iv) निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम :
7. (क) चयनित/नियुक्त स्टाफ का विवरण प्राचार्य, संकाय सदस्य एवं अन्य स्टाफ (संख्या अंकित की जाएगी) :-
 - (i) शैक्षणिक प्राचार्य/विभागाध्यक्ष :
 - (ii) व्याख्याता :
 - (iii) फिजियोथेरापिस्ट :
 - (iv) पुस्तकालाध्यक्ष :
 - (v) अंशकालिक संकाय विशेषज्ञ :
 - (vi) आहार विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ :
 - (vii) आई०सी०टी० प्रशिक्षक :
- (ख) गैर शैक्षणिक कर्मी :-
 - (i) ग्राउन्ड कर्मी :
 - (ii) कार्यालय लिपिक :
 - (iii) स्टोर कीपर :
 - (iv) तकनीकी सहायक :
 - (v) सहयोगी/परिचारक :

(पूर्व से संचालित कोर्स तथा नये कोर्स हेतु नियुक्त स्टाफ एवं पूर्व से संचालित कोस के स्टाफ की सूची उनकी योग्यता एवं प्राप्तांक के प्रतिशत के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न की जाएगी)
8. प्रबंधन समिति गठित है या नहीं? यदि गठित है तो, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/सचिव सभी सदस्यों का नाम, पता एवं मोबाईल नं०, उनके फोटो हस्ताक्षर के साथ संलग्न करें।

9. संस्थान/महाविद्यालय की भूमि का विस्तृत विवरण :-

- (i) निबंधित भूमि का विवरण (डेसिमल एवं वर्गमीटर में)
- (ii) भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, भूमि अधिभार प्रमाण-पत्र एवं भूमि सम्पत्तिवर्तन प्रमाण-पत्र :.....
- (iii) भूमि का दाखिल-खारिज हुआ है या नहीं? मालगुजारी रसीद :.....

(संस्थान/महाविद्यालय की भूमि निबंधन दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जाएगी)

10. संस्थान/महाविद्यालय के भवन/आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का विवरण :-

क्र०सं०	विवरण	अभियुक्ति हाँ / नहीं
1.	(i) कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)..... (ii) कुल भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)..... (iii) खेल के मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)..... (iv) वर्ग कक्ष की कुल संख्या (v) प्रत्येक वर्गकक्ष का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में).....	
2.	प्राचार्य/विभागाध्यक्ष का कमरा :.....	
3.	संकाय सदस्यों हेतु अलग कमरे :..... (कुल कमरों की संख्या अंकित करें)	
4.	बहुउद्देशीय हॉल (वर्ग फीट में क्षेत्रफल).....	
5.	बहुउद्देशीय प्रयोगशाला (वर्ग फीट में क्षेत्रफल).....	
6.	सेमिनार हॉल (वर्ग फीट में क्षेत्रफल).....	
7.	कार्यालय	
8.	भंडार कक्ष	
9.	इनडोर गेम हेतु हॉल (वर्ग फीट में क्षेत्रफल).....	
10.	कॉमन रूम I. पुरुष II. महिला	
11.	कैंटिन	
12.	हॉस्टल	
13.	आगतुक कक्ष	
14.	शौचालय I. पुरुष II. महिला III. स्टाॅफ	
15.	आई०सी०टी० प्रयोगशाला (वर्ग फीट में क्षेत्रफल).....	
16.	संगीत कक्ष	
17.	संगीत यंत्र जैसे:- हारमोनियम, बाँसुरी, ढोल, संगीत, संगीत सयंत्र इत्यादि	
18.	टी०वी०, डी०भी०डी०, स्लाईड प्रोजेक्टर, मूवी कैमरा, फोटो कापी मशीन	
19.	क्रीड़ा एवं खेल उपकरण	
20.	प्रयोगशाला उपकरण	
21.	इन्टरनेट/वाई-फाई	

22.	चिकित्सा कक्ष/रोगी कमरा	
23.	शुद्ध पेय जल	
24.	पार्किंग क्षेत्र	
25.	बागवानी	
26.	<p style="text-align: center;">पुस्तकालय</p> <p>I. कुल पुस्तकों की संख्या (बी०पी०एड० कोर्स)</p> <p>II. कुल पुस्तकों की संख्या (डी०पी०एड० कोर्स)</p> <p>III. कुल पुस्तकों की टाइटल (डी०पी०एड० कोर्स)</p> <p>IV. कुल पत्रिका की संख्या</p> <p>V. पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था.....</p>	

11. फीस

(क) प्रोसेसिंग फीस :-

- I. प्रोसेसिंग फीस की राशि :.....
- II. बैंकड्राफ्ट का नं. :.....
- III. निर्गत करनेवाले बैंक का नाम एवं पता :.....

(ख) संबद्धता शुल्क :-

- I. संबद्धता शुल्क की राशि :.....
- II. बैंकड्राफ्ट का नं. :.....
- III. निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं पता :.....

12. प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)

..... को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से डी.पी.एड. कोर्स की इकाई संचालन की मान्यता प्राप्त हो गई है। इस कोर्स के सम्बद्धता हेतु आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रेषित किया जा रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में दिया गया तथ्य एवं विवरण सही है। आवेदन पत्र एवं अनुलग्नक में दिया गया तथ्य एवं विवरण गलत पाया जाता है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी एवं इसके लिए समिति द्वारा जो भी निर्गम किया जाएगा वह संस्था को मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

अध्यक्ष/सचिव

तिथि

संस्थान का नाम.....

अनुलग्नकों का विवरण

फारम – 2

विहित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)

..... के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014, डी.पी.एड. कोर्स के लिए विहित मानक एवं मनदंडों की कंडिका 2 (अवधि का कार्य दिवस) की उप कंडिका 2.2 (कार्य दिवस) में निर्धारित कार्य दिवस एवं कार्य घंटों का अनुपालन पूर्णता में किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र एवं शिक्षकों के लिए निर्धारित उपस्थिति के मानकों का अनुपालन किया जाएगा। समिति कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था की मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

अध्यक्ष/सचिव

तिथि

संस्थान का नाम.....

फारम – 3

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)

..... के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014, डी.पी.एड. कोर्स के लिए विहित मानक एवं मनदंडों की कंडिका, 3 की उपकंडिका 3.2 (पात्रता) (क) में निर्धारित पात्रता के अनुरूप ही छात्रों का नामांकन किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका 3 की उपकंडिका 3.2 (ख) में अनुरूप नामांकन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर का पूर्णतः अनुपालन करेगी। समिति कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था की मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

अध्यक्ष/सचिव

तिथि

संस्थान का नाम.....

फारम –4

नामांकन फीस एवं अन्य फीस अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)

..... के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014, डी.पी.एड. कोर्स के लिए विहित मानक एवं मनदंडों की कंडिका, 3 की उपकंडिका 3.4 (शुल्क) में मानदंडों के अनुरूप यदि राज्य सरकार के द्वारा छात्रों का ट्यूशन फी तथा अन्य फीस निर्धारित किया जाता है तो संस्था उसका पूर्णतः अनुपालन करेगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका 3 की उपकंडिका 3.4के अनुरूप संस्था छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति फीस (कैपिटेशन फीस) आदि नहीं वसूल करेगी। समिति कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था की मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

अध्यक्ष/सचिव

तिथि

संस्थान का नाम.....

फारम – 5

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)

के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014, डी.पी.एड. कोर्स के लिए विहित मानक एवं मनदंडों की कंडिका, 4(पाठ्यचर्या, कार्यक्रम-कार्यान्वयन और मूल्यांकन)की उपकंडिका 4.1 (पाठ्यचर्या) (क), (ख), (ग) एवं (घ)उपकंडिका 4.2 (कार्यक्रम कार्यान्वयन) तथा उपकंडिका 4.3 (मूल्यांकन) का पूर्णतः अनुपालन करेगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा डी.एल.एड. कोर्स के लिए राज्य सरकार (एस.सी.ई.आर.टी.) द्वारा विकसित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का पूर्णतः अनुपालन करेगी। समिति कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था की मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

अध्यक्ष/सचिव

तिथि

संस्थान का नाम.....

फारम – 6

स्टाफ नियोजन, वेतन भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान (नाम एवं पता)

के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014, डी.पी.एड. कोर्स के लिए विहित मानक एवं मनदंडों की कंडिका, 5 (शैक्षिक) की उपकंडिका 5.1 (स्टाफ और शैक्षणिक निकाय) उपकंडिका 5.2 (योग्यताएं) उपकंडिका 5.3 (प्रशासनिक एवं व्यवसायिक स्टाफ) तथा उपकंडिका 5.4 (सेवा के निबंधन एवं शर्तों) में दर्ज मानकों का पूर्णता में अनुपालन किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्था के द्वारा सभी स्टाफ की प्रत्येक कार्य दिवस पर (बशर्तों की वे अवकाश पर न हो) प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपकंडिका 5.4 (सेवा के निबंधन एवं शर्तों) के अनुरूप यदि राज्य सरकार अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी प्रकार की नियमावली तैयार करती हैं, अध्यापक शिक्षकों, अन्य स्टाफ का वेतनमान तय करती हैं तो संस्था के द्वारा उसका पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। समिति कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि पाया जाता है कि संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा है तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार होगी और इस हेतु जो भी कार्रवाई की जाएगी वह संस्था की मान्य होगा।

नाम

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

अध्यक्ष/सचिव

तिथि

संस्थान का नाम.....

अनुप कुमार सिन्हा,
सचिव ।

**BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD, DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION
(D.P.ED) COURSE AFFILIATION REGULATION, 2019**

In exercise of power conferred under section 17 of Bihar School Examination Board Act, 1952 (as amended from time to time), The Bihar School Examination Board, Patna is hereby making the following Regulation (in connection with physical teachers' education) subject to the confirmation of the Administrative department.

1. Short title extent and Commencement :-

- (1) This regulation shall be called Bihar School Examination Board. (Issuance of No-objection certificate, Affiliation norms and Procedure for physical education Regulation, 2019.
- (2) It shall extend to the whole state of Bihar.
- (3) This Regulation shall come into force from the date of notification.

2. In these regulation, unless the context otherwise requires -

- (i) "Act." means Bihar School Examination Board Act, 1952;
- (ii) "Chairman" means the chairman of the Bihar School Examination Board;
- (iii) "Secretary" means the secretary of Bihar School Examination Board;
- (iv) "Director (Academic)" means Director (Academic) of education committee of Bihar School Examination Board, Patna;
- (v) "National Council for Teachers' Education" means National council for teacher's education and its Regional committee/ committees;
- (vi) "Board" means Bihar School Examination Board, Patna;
- (vii) "Screening committee" means screening committee of the Board;
- (viii) "State" means State of Bihar;
- (ix) "State Government" means Government of Bihar;
- (x) "Government Physical Education Teacher Training institution/college" means Physical Education Teacher training institution/college run by Govt;
- (xi) "Private/Non-Government Physical training institution/college" means Physical teachers training institution/college managed by non-government organisation;
- (xii) "Head of the Institution" means Principal of the concerned physical teachers training institution/college;
- (xiii) "Composite Institution" means a duly recognised higher education institution offering undergraduate or post graduate programme of study in Arts, Science or Social Science, Humanities or Commerce or teacher education programme of Physical teachers education programme or Mathematics as the case may be at the time of applying for non-objection certificate in connection with teacher education programme conducting D.P.Ed. Course.

3. Preamble.—This regulation shall be applicable in matters of issuance of non-objection certificate to institutions initialing new physical teachers education programme D.P.Ed. course, in the matter of obtaining affiliation from Bihar School Examination Board after having received recognition from National Council for Teachers education and for grant of affiliation and in matter of addition in the sanctioned in take for which recognition had been given by National council for teacher education namely: -

- (i) In issuance of no objection certificate to composite institution of Govt/ non-govt Physical Education Teacher training institution starting Diploma in physical education (D.P.Ed.) new course;
- (ii) In issuance of no objection certificate to Govt/non-govt teacher's training education institution starting Diploma in physical Education (D.P.Ed.) new course;
- (iii) In obtaining affiliation for new Diploma in physical education (D.P.Ed) course from Board, after recognition is granted by National council for teacher education;

- (iv) In obtaining affiliation for additional intake in Diploma in physical education (D.P.Ed) course after recognition for the additional intake is granted by National council for teacher education;
- (v) In seeking consent from the Board for shifting or relocating premises where presently Diploma in physical education (D.P.Ed.) course is being offered, after the required consent is accorded by National council for teacher education.

4. Eligibility.—The following categories of institutions are eligible for consideration of their applications under these regulations for obtaining recognition and no objection certificate, namely: -

- (i) Institution/college established by the State government or its authority;
- (ii) Institution/college financed by the State government;
- (iii) Self-financed educational institutions/colleges established in Bihar and operated by “not for profit” societies or trusts registered under the appropriate law or self-financed educational institution/college established by any company incorporated under the companies Act.

5. Manner of making application and time limit: -

(A) Application for no objection certificate.

- (i) An institution/college eligible under Regulation 4 desirous of running Diploma course in physical education (D.P.Ed.) and for the said purpose it has to apply for grant of recognition before National council for Teacher education can apply with the processing fees and requisite documents.
- (ii) The application which include details of programme/course being conducted from before along with the self-attested photocopy of the certificate of the validity of such course given by National council for teacher education/University/State Government and certificate of land establishing that the concerned institution/college has the ownership of the land.
- (iii) Such not for profit societies, trust or company with composite institution which simultaneously intend to offer new course have to give evidentiary material in respect of the other course.
- (iv) Application will be given by the head of the institution namely Principal, Chairman/Secretary of the Society/Trust acting managing director of the company.
- (v) Application will be given to the Board within the time frame prescribed for grant of recognition by National council for Teacher Education and also before submissions of application at National council for Teacher Education for grant of recognition.
- (vi) Applications submitted before or after the time frame prescribed shall not be considered and for which the Board shall not be liable and the amount of processing fees will be forfeited.
- (vii) Application, received within the prescribed time frame will be considered on their merit as well as keeping in view the necessity of the said course within the State and within 15 days of its receipt, the final outcome will be made available to the applicant.
- (viii) In no case the amount of processing fees will be returned to the applicant, whether no objection certificate is issued or rejected.

(B) Application for affiliation-

- (i) Institutions/colleges which have been granted recognition for offering Diploma in physical education course by National council for teacher education council can apply for affiliation from the Board.
- (ii) Application are required to be submitted in the prescribed form with prescribed processing and affiliation fees along with the requisite documents.

- (iii) Out of requisite documents the following documents necessarily be enclosed with the prescribed application.
 - (a) Certificate stating following of prescribed working days.
 - (b) Certificate stating following of reservation as prescribed by the State Government.
 - (c) Certificate stating following of prescribed Admission fees and other fees.
 - (d) Certificate stating following of curriculum and courses.
 - (e) Certificate stating employment of staff, payment of salary and attendance.
- (iv) Application duly filled up in all respects shall be submitted at Bihar School Examination Board within 10 days from the date of grant of recognition by National council for Teacher Education.
- (v) After receipt of dully filled up application, the entire procedure shall be completed within a month and decision on the point of affiliation will be notified by the Bihar School Examination Board and will be sent to the concerned institution.

6. Processing fees.—The following amount will be taken by the Bihar School Examination Board as processing fees: -

- (i) **No objection certificate.**—With application for no objection certificate, a bank draft for Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) in favor of secretary, Bihar School Examination Board shall be submitted by the concerned institution.
- (ii) **Application Fees.**—At the time of applying for affiliation, a bank draft of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand only) as processing fees for affiliation and Bank draft of Rs. 35,000/- (Rupees thirty-five thousand only) as affiliation fee per unit for this recognition granted by National council for Teacher Education shall be submitted in favor of Secretary, Bihar School Examination Board.

7. Processing of Application: -

- (A) **Application for no objection certificate.**—The application received from an institution for no objection shall be immediately processed by Bihar School Examination Board and decided on its merit and in any condition information with regard to its result will be made available to the concerned institution within 15 (fifteen) days.
- (B) **Application for affiliation-**
 - (i) Application received for grant of affiliation will be considered by the Bihar School Examination Board within 15 (fifteen) days as to whether the application is fit to be further proceeding.
 - (ii) An opportunity to rectify faulty application will be provided to the concerned institution and if within 15 (fifteen) days of communication made in this regard by Bihar School Examination Board and thereafter it will be responsibility of the concerned institution to submit rectified application at the Board.
 - (iii) In case of non-submission of the rectified application within the prescribed time, the right to take decision in the matter will be reserved by the Bihar School Examination Board which will be acceptable for the concerned institution. The processing time for such application will be calculated from the date rectified application is received.
 - (iv) Application of institution found to be appropriate in all respects, will be inspected by a four-member team of experts constituted by Bihar School Examination Board. The institution concerned shall arrange for videography of the inspection made by the team experts and shall make available CD of the videography to the inspection team on the same date.

- (v) A district level enquiry committee will be constituted by the Board in the following manner: -
- (a) District Education officer - Co-ordinator
 - (b) Officer nominated by Board - Member
 - (c) Field level Officer nominated by Director, Art Culture & Youth Bihar, Patna - Member
 - (d) A Physical Education Faculty nominated by Director, Art Culture & Youth Bihar, Patna - Member.
- (vi) Rs. 1,500/- (Rupees on thousand five hundred only) will be admissible to the co-ordinator and every member of the enquiry committee from Board. Apart from this travelling allowance as per law will also be admissible. Board also will provide conveyance to them. Enquiry committee report will be positively submitted by the enquiry committee within 15 (fifteen) days.
- (vii) The Bihar School Examination board will positively get enquiry report along with the CD of the institution within 30 Days from the date of receipt of application. It will be the responsibility of Bihar School Examination Board to follow the time schedule.
- (viii) On the basis of enquiry report decision will be taken by the Screening committee of the Bihar School Examination Board associated with affiliation.
- (ix) **Screening Committee.**—For grant and withdrawal of affiliation to diploma in Physical Education training college/institution established by Govt/Non-Government organisation, Screening committee will be constituted in the Board in following manner: -
- (a) Academic Director, Bihar School Examination Board -Chairman.
 - (b) Examination Controller (Vividh) -Member.
 - (c) A departmental officer nominated by Director, Art Culture & Youth Bihar, Patna -Member.
 - (d) Deputy Secretary/Asstt. Secretary (Teacher's Training), Bihar School Examination Board, Patna -Member Secretary.
- (x) On the basis of recommendation of the Screening committee decision will be taken in the meeting of the Bihar School Examination Board for grant/withdrawal of affiliation to the institution.
- (xi) Such institution in whose query certain shortcoming is found, they will be communicated and will be necessarily provided with an opportunity to rectify the shortcomings.
- (xii) Amount deposited as processing fees and charges by such institution who despite being given opportunity to rectify in matters of affiliation but still was rejected, will be forfeited by the Board.

8. Condition for grant of affiliation.—The board after finding the application appropriate in all respects will grant affiliation for Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) course to the concerning institution/college under the following conditions: -

- (i) An institution/college shall necessarily comply with the norms and standard prescribed under Regulation, 2014 by National council for Teacher Education and amendments/modification from time to time;
- (ii) The Bihar School Examination Board/Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar, Patna on time to time will be competent to get the institutions/colleges getting affiliation inspected and supervised by officers/experts;
- (iii) An institution/college will make available audit report of income and expenditure every year to the Board;

- (iv) An institution/college will make payment of honorarium/salary through Bank to the teaching and non-teaching employees legally appointed and working as per standard and will maintain the details of deductions made towards provident fund;
- (v) Information in case of registration or removal of teaching and non-teaching employee will be immediately given to the Board/Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar, Patna the institution/college and on the above said post appointment will be made immediately in accordance with law;
- (vi) On receipt of complaint and after its enquiry on finding the charges to be proved affiliation will be cancelled with recommendation to National Council for Teacher Education for cancellation of recognition;
- (vii) Each year after taking of admission a certificate will be made available by the institution/college to the Board to the effect that the certificates of the admitted candidates is in conformity with the standard prescribed by National Council for Teacher Education and it has been got verified from the issuing institutions;
- (viii) After legally constituting of managing committee the list of members will be made available to the Board by both Govt./Non-Government Physical Education Teacher Training Colleges/Institutions;
- (ix) The account of institution/college will be operated by the joint signature of the Chairman/Secretary of the managing committee and the Principal or the Principal and Senior Lecturer/Professor;
- (x) Whenever needed the institution/college will have to furnish information or documents to the Board or its authorised representative and non submission of the required documents will be treated to be violative of the condition of affiliation;
- (xi) Institution/college shall maintain such records, register and other documents which are essential for functioning of an institution/college;
- (xii) The institution/college will ensure disclosure of necessary information and will upload the latest information on its official website which will be verified by the Board on time to time basis and non-observing of the same will amount to violating the conditions of affiliation;
- (xiii) Such Institutions which were recognized from NCTE prior to the date of this regulation came into force, will be empowered to provide affiliation of such institutions from the date of recognition of the NCTE as it seems fit.

9. Norms and standard for Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) in Physical Education programme.:-

- (i) **Duration.**—The Diploma in Physical Education Program shall be of duration of two years, however, the students shall be permitted to complete the programme within a maximum period of three years from the date of admission to the programme.
- (ii) **Working days.**—
 - (a) There shall be at least 200 (two hundred) working days in each year which will be exclusive of the period of examination and admission.
 - (b) The institutions/colleges shall work for a minimum of 36 (thirty-six) hours in a week (five or six days) during which physical presence in the institutions/college of all teachers and students is necessary to ensure their availability for advice, guidance, dialogue and consolation, as and when required.
 - (c) The minimum attendance of student and teacher shall be 80% for all course work including practical and 90% for school internship.
- (iii) **Admission capacity.**—The basic unit shall be of 50 students. Two basic unit are permissible initial which will be covered by the recognition letter issued by the National Council for Teacher Education in connection with the concerned institution/college. However, the institution/college established by Government

of Bihar shall be sanctioned a maximum intake of four units' subject to fulfilment of other requirements.

(iv) **Eligibility:** -

(a) Candidates with at least 50% marks in the higher secondary (+2) or its equivalent examination (recognized by Govt. of Bihar) are eligible for admission.

(b) Five (05) percent relaxation be given to those who have at least participated in international/national/SGFI/Sports competition or position holders in Inter-Zonal sports competition.

(c) The reservation and relaxations in marks for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the state government which is applicable.

(v) **Admission procedure.**—Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance examination (sports proficiency test, physical fitness test and marks obtained in qualifying examination) or any other selection procedure as per the policy of the State Government.

(vi) **Fees.**—The institution/college shall charge only such fees as prescribed by the affiliating body/State Government in accordance with provision of National council for Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulation, 2002 as amended from time to time and not charge donation, capitation fees etc. from the students.

(vii) **Evaluation.**—For each theory course, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment and 70% to 80% for term end examination conducted by the examining body and one fourth of the total marks shall be allocated to evaluating the student's performance during the school internship. The weightage for internal and external assessment shall be fixed by the affiliating body within the ranges specified above. Candidates must be internally assessed on the entire practicum course and not only on the project/field work given to them as part of their units of study and basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/marks as part of professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The basis of internal assessment may include individual or group assignments, observation, records, diaries, reflective journal etc.

10. **Academic and Non-Academic structure:** -

(A) **Academic staff.**—Number for a basic unit of 50 (fifty) students of less with combined strength of one hundred or less for two years course.

(i)	Principal/H.O.D.	-	01 (one)
(ii)	Lecturer	-	06 (six)
(iii)	Physiotherapist	-	01 (one)
(iv)	Librarian	-	01 (one)
(v)	Experts (Sports experts) part time faculty	-	04 (four)
(vi)	Dietician/Nutrition expert	-	01 (one) part time.
(vii)	I.C.T. instructor	-	01 (one)

Note: -

(i) For additional intake which will be in multiples of fifty students, the number of full time faculty shall be increased by six per additional unit. On each occasion additional intake of one basic unit shall be considered. Physical education teacher preparation courses can also be run in comprehensive or composite

institutions subject to fulfilment of norms and standards prescribed by National Council of Teacher Education.

- (ii) Appointment of teachers shall be distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching courses/subjects and activities related to physical education. Faculty can be utilized for teaching in a flexible manner so as to optimize academic expertise available.

(B) Qualification: -

- (i) **Principal/Head of the Department.**—M.P.Ed or equivalent degree with at least 55 (fifty five) percent marks and B.P.Ed with at least 50% marks and at least five years of experience as a lecturer in a physical education teacher training institution.
- (ii) **Lecturer.**—M.P.Ed or equivalent degree with at least 55 (fifty five) percent marks and B.P.Ed with at least 50% marks and at least eight years of experience as a physical training instructor/physical education teacher at a school level.
- (iii) **Physiotherapist.**—Post Graduate degree in physiotherapy with specialization in sports physiotherapy.
- (iv) **Librarian.**—Post Graduate degree in library and information science.
- (v) **Experts part time faculty (sports).**—Bachelor's/Master's degree in physical education with specialization in one game/sport/Bachelor's degree in physical education with Diploma in coaching in specialized sports at least one game/sport.
- (vi) **Dietician/Nutrition expert.**—Post Graduate degree in nutrition sciences.
- (vii) **I.C.T instructor.**—Post graduate degree in information practices/information sciences.

Note - In case of composite institution, the Principal and Academic, Administrative and Technical staff shall be shared.

(C) Technical support and Administrative staff: -

- | | | |
|---|---|-----------------|
| (i) Ground staff (with knowledge of marking ground and maintaining sports fields) | - | Two |
| (ii) Technical assistant | - | One (part time) |
| (iii) Office assistant (with knowledge of working with computer and accounting software.) | - | One |
| (iv) Store keeper (with knowledge of handling stores) | - | One |
| (v) Helpers/Attendants | - | Two |

- (D) Qualifications.**—For all above mentioned posts the educational and other qualification will be as per state Government norms.

- (E) Terms and conditions of service.**—The term and condition of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scale, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the state Government/Affiliating body.

11. Infrastructure.—The institution shall have in its possession, a minimum of five acre i.e. 500 decimal of exclusive well demarcated land which shall provide enough space for organizing games and sports. Build up area for basic unit consisting of class rooms and other rooms shall be 1,200 sqm. (one thousand two hundred square meter.) Build up area for running other courses in combination with D.P.Ed. Programme shall be as under: -

- | | | |
|--|---|-----------|
| (i) Only for Diploma in physical education (D.P.Ed.) | - | 1,200 sqm |
| (ii) D.P.Ed.+B.P.Ed. | - | 2,700 sqm |
| (iii) D.P.Ed.+B.P.Ed.+M.P.Ed. | - | 3,900 sqm |

Note: -

- (i) Additional intake of one unit of D.P.Ed. will require additional build up area of 500 sqm (five hundred sqm) for each additional intake of one unit.

- (ii) There shall be provision of two class rooms per unit intake. Besides class room, one multipurpose hall, one multipurpose laboratory, seminar hall, separate rooms for Principal/Head of the Department, faculty members, office for administrative staff and store room. For every instructional room; like class room, laboratory, library etc. Space shall not be less than 10 sqft (ten sqft) per student. Multipurpose hall shall have the seating capacity for two hundred persons having a total area of 2,000 sqft (two thousand sqft)
- (iii) There shall be multipurpose field for outdoor sport, with at least two-hundred-meter track and a hall for gymnastic and indoor games and sports.
- (iv) Safe guard against fire hazard be provided in all parts of the building.
- (v) The institutional campus, building, furniture etc. should be disabled friendly.
- (vi) If necessary, separate hostel for boys and girls shall be provided. In addition, some residential quarters for faculty must be provided.

B. Instructional: -

- (i) There shall be a library equipped with minimum two thousand titles and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD-ROMs) and at least five journals on physical education and related subjects. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and students, teachers.

(ii) **Laboratories: -**

(a) **Education technology laboratory equipments.**—Hardware for projection and duplication and educational software required for imparting ICT literacy; T.V., LCD. Projector, Display boards (three), Movie camera in the minimum of ten with internet connectivity, music system, computer system-two with printer, photocopy machine, GOs/DVDs/ROM- twenty for various sports/Games/skill teaching, smart boards.

(b) **Anatomy, physiology and health education laboratory equipments.**—Human Skelton- Articulated (one), Disarticulated-(Two), Electronic/digital/lever based weighing machine-(one), Anthropometric kit- (one set), Stadiometer-(one), Growth charts and Body system charts-(ten), Desirable weight and Height table-(two), Skinfold calipers (two), Measuring tape (steel)-two, Peak flow meter-(one), Grip Dynamometer-(two), Flexometer- (sit and reach apparatus)-(two), B.P. Apparatus (sphygmomanometers, stethoscopes and stopwatches)-(two).

- (iii) **Sports and field equipments.**—The sports and field equipment will be classified in following categories.: -

(a) **Athletics.**—Measuring tape (steel)- 15m. 30m., 50m., wire for arking and track (fifty meter)-one, stop watches- four, starting clapper-one, stand for judges at finish-two, flag poles-six, Starting blocks- six, starting boards-two, Take off boards-two, Hurdles-twenty, High jump stand-one pair, High jump cross bars-six, Shot-put for men and women- two(each), Discus for men and women-two each, Hammers for men and women-two each, Javelin for men and women-six each, Vaulting box for jumping-two, Relay batons-six, mattress, weight traing set (mats), landing for high jump.

(b) **Sports and Games: -**

Badminton : Post, Nets, Racket, Shuttle cocks.
Basketball : Stand and Board, Net, Balls.
Cricket : Batting pad, Batting Gloves, Abdominal Guard, Helmet, Wicket keeping Gloves, Wicket Keepers Leg Guard, Stumps, Bails, Balls, Tennis Balls.

Football	:	Goal post, Net Balls (Minisize 4 No.), Post and Flags.
Gymnastics	:	Vaulting table/Horse (men and women), Parallel Bar (men), Horizontal Bar (men) Balance Beam (adjustable), Gymnastics Mattress.
Handball	:	Goal posts, Nets, Balls.
Hockey	:	Goal post, Nets, Balls, Stick, Goal keeping kit.
Lawn tennis	:	Posts, Nets, Balls, Rackets.
Table tennis	:	Table, Rackets, Balls.
Volleyball	:	Posts, Nets, Balls, Antenna.
Kho-Kho	:	Poles.
Weight Training	:	Rods, Weight plates-2.5kg, 5 kg., 10 kg. 15kg. 20 kg., collars, Benches, Weight stand, Weight belts and weight jackets, one multi-gym or separate station wise (at least ten station), Judo/Taekwondo/wrestling-mats.
(c)		Equipment for indigenous activities/mass demonstration. —Lizums, dumbbells, Flags, Hoops, Wands, Balls, Umbrellas, Skipping ropes, Music system, Music-CDS/Cassettes, Material like scarf drill, ribbon, placard etc. For mass display activities, Demonstration/ Display equipment for material arts.
(d)		Cultural activities. —Suitable and adequate instruments, as and when needed for various activities shall be provided.
(e)		Miscellaneous.—Other equipment required for major, minor game, recreational games, relays, combative games and Yoga.

12. Amenities: -

- (i) Functional and appropriate furniture is required number for instructional and other purposes.
- (ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.
- (iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female shall be made available for staff and students.
- (iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.
- (v) Safe drinking water be provided in the institution.
- (vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

Note.—In case of composite institution, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipment.) and instructional space may be shared by various programmes.

13. Managing committee.— The institution shall have a managing committee constituted as per rules if any of the state government. In the absence of any such rule, the sponsoring society/trust/company shall constitute the managing committee on its own. The committee shall comprise representative of sponsoring society/trust/company, Physical educationists, representative of Bihar School Examination Board and representative of educational staff.

14. Examination fee.—The following amount will be charged by the Board as examination fees: -

i.	Application form	-	250/-
ii.	Examination fee	-	100/-
iii.	Miscellaneous	-	600/-
iv.	Marks sheet fee	-	350/-
v.	Late fee	-	175/-

Total - **1475/-**
(Rupees one thousand four hundred seventy-five only.)

The aforesaid fees will stand revised from time to time by the Bihar School Examination Board.

15. Academic calendar: —

After completion of two years Training examination will be conducted by the Bihar School Examination Board and certificate shall be issued. The prescribed course could be completed by the institutions/colleges in a better manner and within the time schedule and for holding of examination on time the Board in Co-operation with the state council of Educational Research and Training will release academic calendar which is to be followed necessarily.

16. Withdrawal of affiliation: -

- (A) Affiliation may be withdrawn by the Bihar School Examination Board either in a particular subject or in all subjects. Institution/College imparting Diploma in physical Education (D.P.Ed.) course may be disaffiliated if the Board is satisfied that such institution/college are not fit to enjoy continuing affiliation to the Board.
- (B) Proceeding for withdrawal of affiliation may be initiated by the Board for non-observance of the following condition by the institution/college: -
- (i) Financial irregularities and to draw amount against norms prescribed in the rule.
 - (ii) Engagement in activities prejudicial to the interest of the state, inculcating or promoting feelings of disloyalty or dis-affection against the Government established by law.
 - (iii) Encouraging or tolerating disharmony/hatred between different section of the society.
 - (iv) Non-fulfilment of conditions laid down regarding deficiencies to be removed even after due notice.
 - (v) Disregard to rules and conditions of affiliation even after receiving warning letters.
 - (vi) Hindrance in the smooth functioning of the institution/college on account of dispute between revalries within the institution/college management.
 - (vii) Poor academic performance of the institution/college for three consecutive year and not being able to keep at least 50(fifty) percent of passes of the general pass percentage.
 - (viii) Non-availability of proper equipment/space/staff for teaching a particular subject.
 - (ix) Any other misconduct in connection with the admission/examination/any other area which in the opinion of the Board warrants immediate disaffiliation of the institution/college.
 - (x) In case of transfer of property/sale institution/college by one society/management/trust to another society/management/trust through agreement/sale deed.
 - (xi) Any violation of the norms that have been prescribed by the Hon'ble supreme court of India in the writ petition (criminal) no. 666-70 of 1992 Vishaka and others v/s State of Rajasthan and others delivered on 13.08.1997 for protection of women from sexual harassment at the work place if established would attract strict action against the institution which may even lead to disaffiliation.
- (C) The Board shall provide adequate time and opportunity to the management of the institution/college served with a "Show cause Notice" up to a maximum of one year for adequate compliance/removal of defects failing which the Board may declare the institution/college disaffiliated. Such decision by the Board shall be final and binding. The maximum period of reply to "Show cause Notice" may not exceed one month.
- (D) Mere submission of application form for affiliation or its pendency with the Board shall not entitle any institution/college a right to be affiliated to the Board nor will

it resort to do anything in any manner which may create any wrong impression in the public mind to this effect.

- (E) In the event of a institution/college failing to maintain the prescribed norms for affiliated Physical Training college and/or rules of the Board and/or the institution/college deteriorates in standards of performance, the Board will ask such a institution/college to rectify the deficiencies and come up to standard prescribed for maintaining affiliation within a period not exceeding one year. If the institution/college fails to meet the requirement it may lose the status of an affiliated institution/college and may be dis-affiliated, if considered necessary by the Board.
- (F) In case institution/college is subjected to disaffiliation and if files application for revival of the affiliation within five years of such disaffiliation, its case shall be considered on merit by the screening committee without charging fresh fee for affiliation. However, repeated violation of the Bye-laws will lead to permanent disaffiliation of the institution/college.

17. Sale/Transfer of the college.—The Board will not permit sale/transfer of the institution/college or any property of the institution/college through an agreement sale deed by one society/management/trust to an another society/management/trust. If such act is done apparently or impiedly the Board will withdraw affiliation with immediate effect.

18. Removal of Hardship.—After implementation of this Regulation if any hardship is occasioned for removal of which the Board will be competent and for the said purpose shall be issuing separate Rule/Regulation, guidelines and letter which will be the part of the present regulation and compliance of which will be essential for institution/college.

19. Repeal and Saving.—Rule, regulation, circular and letter issued by Bihar School Examination Board earlier shall stand repealed with effect from the date of implementation of this regulation. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have done or taken under the regulation hereby repealed shall, is so far as it is not inconsistent with the provision of these regulation, be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulation.

The present regulation is to be followed by institution/college which had been granted affiliation by the Bihar School Examination Board prior to this regulation and the prescribed affiliation fees is not deposited by them, the same shall be deposited within 15 days from the date of issuance of this regulation and in case of not doing so their affiliation will be cancelled.

By order of The Bihar School Examination Board,
ANUP KUMAR SINHA,
Secretary.

Format - 1
Application for Affiliation of D.P.Ed. Course
(Bihar School Examination Board)

1. Name of the institution/college:
2. Address (The address written in letter of National Council for Teacher Education will be mentioned):
3. The details of regulation given by National council for Teacher Education letter Dated (The self-attested photocopy of the letter issued by National council for Teacher Education will be enclosed.)
4. Basic unit of which recognition has been given by the National council for Teacher Education Number of students
5. Number of students for affiliation:
6. Details of prior conducted course: -
 - i. Name of the course:
 - ii. Number of students sanctioned for admission:
 - iii. Letter no.: dated of letter connected with recognition/affiliation.
 - iv. Name of the issuing authority
(self-attested photocopy of the letter will be enclosed.)
7. (a) Number of selected/appointed Principal faculty members and other staff: -
 - i. Principal/Head of the Department :
 - ii. Lecturer :
 - iii. Physiotherapist :
 - iv. Librarian :
 - v. Expert part time faculty :
 - vi. Dietician/Nutrition experts :
 - vii. I.C.T. Instructor :
- (b) Non-teaching staff: -
 - i. Ground staff :
 - ii. Office assistant :
 - iii. Store keeper :
 - iv. Technical assistant :
 - v. Helpers/Attendants :

(Self-attested photocopy of qualification and marks the appointed Teaching and non-teaching staff of prior conducted course. If in prior no course was conducted enclose the self-attested photocopy of qualification and marks of the appointed/selected teaching and non-teaching staff associated with present course.)
8. Managing committee has been constituted (yes/no). if constituted then the list of managing committee members including chairman / secretary with their address and mobile number should be enclosed with photo & signature.
9. Details of lands of the institutions/college: -
 - i. Area of the land (in decimal and square meter) :
 - ii. Land possession certificate Non-encumbrance & land conversion certificate given by circle officer :
 - iii. Whether Mutation has been done or not?
Land Revenue Receipt :

(Self-attested photocopy of above all land documents should be enclosed)

10. Details of infrastructure, other facilities and materials of the institution/college: -

Sl. No.	Particular	Remarks Yes/No
01.	i. Total constructed area (in square meter): ii. Total area of land (in square meter): iii. Area of the playground (in square meter): iv. Total no. of class room v. Area of each class room (in square feet):	
02.	Principal/Head of Department room:	
03.	Seperate room for faculty members: (Total no. of rooms should be noted.)	
04.	Multipurpose hall (area in square feet):	
05.	Multipurpose laboratory (area in square feet):	
06.	Seminar hall (area in square feet) :	
07.	Office	
08.	Store room	
09.	Hall for indoor game (area in square feet):	
10.	<u>Common room</u>	
	i. Male:	
	ii. Female:	
11.	Canteen	
12.	Hostel	
13.	Visitor room	
14.	<u>Toilet</u>	
	i. Boys:	
	ii. Girls:	
	iii. Staff:	
15.	I.C.T. laboratory (area in square feet):	
16.	Music room	
17.	Music instrument as for example Harmonium, Flute, Drum, Music system, C.D. etc.	
18.	T.V., D.V.D. Slide projector, movie camera, Photocopy machine.	
19.	Sports and field equipments.	
20.	Laboratory equipments and furniture.	
21.	Internet/Wi-Fi	
22.	Dispencary/Sick room	
23.	Safe drinking water	
24.	Parking area	
25.	Gardening	
26.	<u>Library</u>	
	i. Total no. of books (for B.P.Ed. course):	
	ii. Total no. of books (for D.P.Ed. course):	
	iii. Total title of books (for D.P.Ed. course):	
	iv. Total no. of magzines:	
	v. Total no. of seating:	
	Arrangement:	

11. (a) Processing fees: -

- i.* Amount of processing fee :
- ii.* Bank Draft no. and date :
- iii.* Branch name and address of issuing bank :

(b) Affiliation fees: -

- i.* Amount of affiliation fees :
- ii.* Bank Draft number and date :
- iii.* Branch name and address of issuing bank :

12. Certificate:

Certified that (Name and address of the institution/college) has received recognition from National Council for Teacher Education for conducting Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) course for Unit. Application for grant of affiliation is being forwarded to Bihar School Examination Board. It is also certified that the details given in the application and the enclosures contain correct information.

The institution/college shall be liable if information and details furnished in the application and if the enclosure are found to be wrong, than whatever decision is taken by the Board on such issue, will be acceptable to the institution/college.

Date:

Details of enclosures:

Name/Signature and Seal

(Chairman/Secretary)

Name of Institution.....

Format -2

(Certificate complying prescribed working days)

Certified that (Name and address of the institution).....
 The working days and working hours, norms and standard prescribed under sub clause 2.2 (working days) of clause-2 (duration and working days) of National Council for Teacher Education Regulation, 2014 for Diploma in Physical Education shall totally be followed. It is also certified that the norms prescribed for attendance of students and teachers shall be followed. If during the course of inspection by the Board/Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar, Patna it is found that the prescribed norms and standard had not been followed, the institution will be responsible for the same and in this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Date:

Name/Signature and Seal

(Chairman/Secretary)

Name of Institution.....

Format -3**(Certificate complying reservation prescribed by the State Government)**

Certified that (Name and address of the institution)
 The admission of students will be taken conformity with the eligibility prescribed under sub class 3.2 (eligibility) of clause-3 of National Council for Teacher Education Regulation, 2014 for Diploma in Physical Education course. It is also certified that in admission following provision sub clause 3.2 of clause 03, Reservation and Reservation Roster prescribed by The State Government shall totally be followed. If during the course of inspection by the Board/Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar, Patna found that the prescribed norm and standard had not been followed, the institution shall be responsible for the same and this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Date:**Name/Signature and Seal
(Chairman/Secretary)****Name of Institution.....****Format -4****(Certificate complying admission fees other fees)**

Certified that (Name and address of the institution)
 that the tuition fees of students and other fees if prescribed by the State Government under the norms and standard of the clause 3.4 (fees) of clause-3 of National Council for Teacher Education Regulation, 2014 for Diploma in Physical Education course shall totally be followed by the institution. It is also certified that in conformity with sub clause 3.4 of clause 03 no donation, capitation fees will be charged from the students by the institution. If during the course of inspection by the Board/Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar, Patna it is found that prescribed norm and standard had not to be followed, the institution shall be responsible for the same and in this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Date:**Name/Signature and Seal
(Chairman/Secretary)****Name of Institution.....****Format -5****(Certificate complying curriculum and course)**

Certified that (Name and address of the institution)
 that the norms and standard prescribed under the clause 4.1 (curriculum) and 4.1(A), (B) and (C) and 4.2 (programme implementation) and 4.3 (Assessment) of clause 04 (curriculum, programme implementation and assessment of National Council for Teacher Education Regulation, 2014 for Diploma in Physical Education course shall be totally be followed. It is also certified that the curriculum and course developed by the State Government (SCERT) for Diploma in Physical Education course shall totally be followed by the institution. If during course of inspection by the Board/Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar, Patna it is found that the prescribed norm and standard had not been followed by the institution shall be responsible for the same and this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Date:**Name/Signature and Seal
(Chairman/Secretary)****Name of Institution.....**

Format -6

(Certificate appointment of staff, payment of salary and attendance.)

Certified that (Name and address of the institution)
 that the norms and standard prescribed under sub clause 5.1 (Academic faculty) {5.1(i) to 5.1(iv)}, 5.2 (technical support and administrative staff) and 5.3 (terms and condition of service) of clause 05 (staff) of National Council for Teacher Education Regulation, 2014 for Diploma in Physical Education course shall be totally followed. It is also certified that if in terms of sub clause 5.3 (terms and condition of services) pay scale of teachers and other staff is fixed by the State Government or Bihar School Examination Board through any rule the same shall be totally followed by the institution. If during course of inspection by the Board/Art, Culture & Youth Department, Govt. of Bihar, Patna it is found that the prescribed norms and standard had not been followed by the institution shall be responsible for the same and this regard whatever action will be taken will be acceptable to the institution.

Date:

**Name/Signature and Seal
(Chairman/Secretary)**

Name of Institution.....

**ANUP KUMAR SINHA,
Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 992-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>